रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2010/श्रावण 7, 1932

No. 423] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2010/SHRAVANA 7, 1932

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 643(अ).—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार वायुयान (संशोधन) नियम 2010 का प्रारूप भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या के सा.का.नि. 528(अ) तारीख 21 जून, 2010 संख्यांक द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, जनसाधारण को तारीख 21 जून, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और प्रारूप नियमों की बाबत उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियमावली, 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** (1).—इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम 3 का संशोधन.**—वायुयान नियम, 1937 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में, खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, नामशः :—

"(1) "विमान कार्य" से किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन या अन्य किसी लाभप्रद प्रयोजन के लिए किया गया कोई वायुयान प्रचालन अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत लोक परिवहन के लिए प्रचालन नहीं है;

(1क) "विमान कार्य वायुयान" से वह विमान अभिप्रेत है जिसका उपयोग विमान कार्य के लिए किया जाता है ।"

3. **भाग XIII के शीर्षक का संशोधन.**—उक्त नियम के भाग XIII में, शीर्षक में, "विमान परिवहन सेवाएं" शब्दों के स्थान पर "विमान परिवहन सेवाएं और विमान कार्य" शब्द रखे जाएंगे ।

4. **नियम 134 का संशोधन.**—उक्त नियम के नियम 134 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "विमान परिवहन सेवाए" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में "किसी विमान परिवहन सेवा" शब्दों के स्थान पर "किसी अनुसूचित विमान परिवहन सेवा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा ।

5. **नए नियम 134क, 134ख और 134ग का अतःस्थापन.**—उक्त नियम के नियम 134 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, नामशः :—

"**134क. गैर अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं.**—(1) केन्द्रीय सरकार की विशेष अनुज्ञा और प्रत्येक मामले में अधिरोपित ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझती है, के सिवाय किसी वायु परिवहन उपक्रम, जिसका कारोबार का मुख्य स्थान भारत के बाहर किसी देश में है, द्वारा प्रचालित किसी अनुसूचित वायु परिवहन सेवा से भिन्न, कोई वायु परिवहन का प्रचालन नहीं करेगा ।

(2) किसी भारतीय विमान परिवहन उपक्रम द्वारा, किसी अनुसूचित विमान परिवहन सेवा से भिन्न कोई विमान परिवहन सेवा तब तक प्रचालित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया गैर अनुसूचित प्रचालन अनुज्ञा-पत्र न हो ।

(3) गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में देना होगा, और उसमें ऐसी विशिष्टियां या दस्तावेज होंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) उप-नियम (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र, जब तक निलंबित या रद्द न कर दिया गया हो, दो वर्ष की अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसे एक बार में दो वर्ष की अनधिक अवधि के लिए नवीकृत कराया जा सकेगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो गया है कि,—

(क) गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र की शर्तों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है और विफलता ऐसे गैर अनुसूचित प्रचालक के अनुज्ञा-पत्र के धारक की ओर से या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं में से किसी के द्वारा किसी जानबूझकर किए गए किसी कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुई है, चाहे सेवक या अभिकर्ता का ऐसा जानबूझकर किया गया कार्य या व्यतिक्रम गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र के धारक के ज्ञान या अनुमोदन से या अन्यथा का विचार किए बिना हुआ है; या

(ख) गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र का धारक एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय सेवा स्थापित करने में असफल रहा है; या

(ग) गैर अनुसूचित प्रचालक का अनुज्ञा-पत्र को किसी सूचना का अधिक्रमण करके या गलत सूचना देकर प्राप्त किया गया था,

तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, गैर अनुसूचित प्रचालक के अनुज्ञा-पत्र को निरस्त या निलंबित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी किसी गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र को लिखित में, कारण बताओ सूचना दिए बिना, निरस्त या निलंबित नहीं किया जाएगा जिसमें गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र के धारक को उस आधार की सूचना दी गई हो जिस पर गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र को निलंबित या निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया हो और उस सूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित रूप में अभ्यावेदन देने का और यदि वह व्यक्ति सुने जाने की इच्छा रखता है; युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो ।

(6) उप-नियम (5) में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो कारणों को लेखबद्ध करते हुए आगे जांच करने के उद्देश्य से गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र को संक्षेपत: निलंबित कर सकेगी ।

134ख. विमान कार्य.—कोई प्रचालक तब तक विमान कार्य प्रारंभ नहीं करेगा जब तक उसके पास नियम 134क के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त विधिमान्य गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र नहीं होगा ।

134ग. फीस.—(1) गैर अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र के आवेदन, मंजूरी और नवीकरण के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी :—

(i) आवेदन के लिए : 25,000 रुपए

(ii) गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी के लिए : 1,00,000 रुपए

(iii) गैर-अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञा-पत्र के नवीकरण के लिए : 50,000 रुपए

(2) यह फीस मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा वेतन और लेखा कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगी ।"

[फा. सं. ए वी. 11012/2/2010-ए]

प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 8 अप्रैल, 2010 की सा.का.नि. 297(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2010 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2010

G.S.R.643(E).—Whereas the draft of Aircraft (Amendment) Rules, 2010 further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 528(E), dated 21st June, 2010, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 21st June, 2010;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Aircraft (2nd Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 3.**—In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, for clause (1), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(1) "Aerial work" means any aircraft operation undertaken for an industrial or commercial purpose or any other remunerative purpose, but does not include operation of an air transport service;

(1A) "Aerial work aircraft" means an aircraft used for the aerial work."

3. Amendment of heading of Part XIII.—In Part XIII of the said rules, in the heading, for the words, "AIR TRANSPORT SERVICES", the words, "AIR TRANSPORT SERVICES AND AERIAL WORK" shall be substituted.

4. Amendment of rule 134.—In rule 134 of the said rules, —

(i) in the marginal heading, for the words, "Air Transport Service", the words, "Scheduled Air Transport Services" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), for the words, "an air transport service", the words, "a scheduled air transport service" shall be substituted;

(iii) sub-rule (3) shall be omitted.

5. Insertion of new rules 134A, 134B and 134C.— After rule 134 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"134A. Non-Scheduled Air Transport Services.— (1) No air transport service, other than a scheduled air transport service, shall be operated by any air transport undertaking of which the principal place of business is in any country outside India except with the special permission of the Central Government and subject to such terms and conditions as it may think fit to impose in each case.

(2) No air transport service, other than a scheduled air transport service, shall be operated by an Indian air transport undertaking unless it holds a Non-Scheduled Operator's Permit granted by the Central Government.

(3) The application for grant of Non-Scheduled Operator's Permit shall be made to the Central Government in such form and such manner, and shall contain such particulars or documents as may be specified by the Director-General.

(4) The Non-Scheduled Operator's Permit granted under sub-rule (2) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding two years, which may be renewed for a period not exceeding two years at a time.

(5) The Central Government may, if it is satisfied that,—

(a) any of the conditions of the Non-Scheduled Operator's Permit has not been complied with and the failure is due to any wilful act or default on the part of the holder of such Non-Scheduled Operator's Permit or by any of his servants or agents, irrespective of whether or not such wilful act or default of the servant or agent was with the knowledge or approval of the holder of the Non-Scheduled Operator's Permit, or.

(b) the holder of the Non-Scheduled Operator's Permit has failed to establish a safe, efficient and reliable service, or

(c) the Non-Scheduled Operator's Permit was obtained by suppressing any information or by giving wrong information,

cancel or suspend the Non-Scheduled Operator's Permit for such period as it thinks fit:

Provided that no such Non-Scheduled Operator's Permit shall be cancelled or suspended without giving a show-cause notice, in writing, informing the holder of Non-Scheduled Operator's Permit the ground on which it is proposed to suspend or cancel the Non-Scheduled Operator's Permit and giving him a reasonable opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice and, if that person so desires, of being heard.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), if the Central Government is of the opinion that in the interest of public safety it is necessary so to do, it may, for the reasons to be recorded in writing, summarily suspend the Non-Scheduled Operator's Permit with a view to make further enquiry.

134B. Aerial Work.— No operator shall undertake any aerial work unless he holds a valid Non-Scheduled Operator's Permit granted under sub-rule (2) of rule 134A.

134C. Fees.— (1) The following fees shall be payable for application, grant and renewal of Non-Scheduled Operator's Permit :—

(i) for application : Rs. 25,000.

(ii) for grant of Non-Scheduled Operator's Permit : Rs. 1,00,000.

(iii) for renewal of Non-Scheduled Operator's Permit : Rs. 50,000.

(2) The fee shall be paid by Demand Draft drawn in favour of the Pay and Accounts Office, Director General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, New Delhi."

[F. No. AV.11012/2/2010-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26 , dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 297(E), dated the 8th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), dated the 8th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.